

**बिड दस्तावेज़ / Bid Document**

बिड विवरण / Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय / Bid End Date/Time	15-06-2026 11:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय / Bid Opening Date/Time	15-06-2026 11:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से) / Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम / Ministry/State Name	Chhattisgarh
विभाग का नाम / Department Name	Food Civil Supplies And Consumer Protection Department Chhattisgarh
संगठन का नाम / Organisation Name	N/a
कार्यालय का नाम / Office Name	State
वस्तु श्रेणी / Item Category	Handling and Transport on Lumpsum Basis - Handling Service
अनुबंध अवधि / Contract Period	2 Year(s)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़ / Document required from seller	Experience Criteria, Bidder Turnover, Certificate (Requested in ATC), Additional Doc 1 (Requested in ATC), Additional Doc 2 (Requested in ATC), Additional Doc 3 (Requested in ATC), Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है / Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी / Number of days for which Bid would be auto-extended	3

**बिड विवरण/Bid Details**

ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / <b>Number of Auto Extension count</b>	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
अनुमानित निविदा मूल्य (सभी करों सहित) भारतीय रुपये में / <b>Estimated Bid Value in INR (Inclusive of all taxes)</b>	4000000
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

**ईएमडी विवरण/EMD Detail**

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	50000

**ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail**

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	24

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित कैटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई कैटे के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

**लाभार्थी /Beneficiary :**

District Marketing Officer  
District Marketing Office Old jila panchayat bhavan signak chowk Bemetara CG  
(Gajendra Kumar Rathore)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

**एमआईआई अनुपालन/MII Compliance**

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes
-------------------------------	-----

**एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference**

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	No
---	----

1. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which will be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

**अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required**

**Scope of Work:**[1778831760.pdf](#)

**Terms and Conditions to be mentioned by Buyer for bidders to participate:**[1778831764.pdf](#)

**Handling And Transport On Lumpsum Basis - Handling Service ( 1 )****तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
<b>कोर / Core</b>	
Category	Handling Service
<b>एडऑन /Addon(s)</b>	

**क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer**

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer	No
--	----

**अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents****प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	Quantity	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
-------------------	--	-------------	----------	--

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	Quantity	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Gajendra Kumar Rathore	491335,Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd. Ward No-5, Mohbhatta, Bemetra C.G.	Project / Lumpsum Based	N/A

## क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/**Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions**

### 1. Generic

**Bidder financial standing:** The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

### 2. Generic

Buyer Organization specific Integrity Pact shall have to be complied by all bidders. Bidders shall have to upload scanned copy of signed integrity pact as per Buyer organizations policy along with bid. [Click here to view the](#)

### 3. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

### 4. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

### **KMS 2026-27 एवं 2027-28**

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय के अंतर्गत कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लें। यह निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे:-

- विपणन संघ द्वारा संबंधित जिला हेतु ऑनलाइन कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य के लिए ई-निविदा जारी की गई है। जिसमें एक तकनीकी ब्रीड (निविदा दस्तावेज के भाग "क") एवं दूसरा वित्तीय ब्रीड (निविदा दस्तावेज के "ख") अलग-अलग है, जिसमें उल्लेखित वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
- निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट-2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित/स्वः प्रमाणित प्रति स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करें, यह सभी दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।
- Estimated Value of Project** के संबंध में तथा निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत **Lumpsum** दर का प्रति गठन अनलोडिंग एवं स्टेकिंग हेतु दर का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना है। इस हेतु जैम में उपलब्ध विकल्प में **price Breakup** लोड करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी एवं उदाहरण तथा Price break up Format परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।
- निविदाकर्ता अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी ब्रीड के साथ संलग्न करें:-
  - निर्धारित अमानत राशि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के **Demand Draft/ E k Guarantee** की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करें। डी.डी./बी.जी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा ।
  - हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति द्वारा स्थानीय निकाय का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

3. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का भविष्य निधि कोड नं. एवं विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में से कि भी 01 वर्षों का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जमा रिटर्न की छायाप्रति।
  4. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का आयकर स्थाई लेखा संख्या प्रपत्र (पैन कार्ड) एवं व्यवसाय संबंधित दो वित्तीय वर्षों 2023-24 2024-25 की आय कर विवरणी।
  5. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीपी पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  6. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स के साथ तथा सूचीबद्ध किये गये हमालों के भविष्य निधि खाता नम्बर, ई.एस.आई.सी तथा ग्रुप इंशोरेंस सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  7. हमाल ठेकेदार को वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  8. विगत 02 वर्षों में काली सूची में दर्ज नहीं होने का घोषणा पत्र 50/- रुपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर जमा करना है।
4. हमाल/ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को श्रम अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र टेन्डर प्राप्ति के पश्चात 07 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  5. निविदा 02 वर्ष तक वैध होगी। आवश्यकता पड़ने पर तीन-तीन माह के काल खण्ड में 01 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है, नये हेतु निविदाकार बाध्य होगा।
  6. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निर्धारित समिति/प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को होगा।
  7. निविदाकर्ता के पास वैध भविष्यनिधि कोड होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से प्रत्येक माह मासिक बिल कर माह के 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। बिल के साथ निविदाकर्ता द्वारा अपने भविष्य निधि कोड में भविष्य निधि कार्यालय जमा किये गये उसी माह के मासिक विवरणी की पावतीयुक्त कापी एवं हमालवार भविष्य निधि की जानकारी संलग्न करने पर ही स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वर्षान्त पर वार्षिक भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये पावतीयुक्त कापी प्रस्तुत करने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि कोड नं. नहीं है तो निविदा शर्त क्रं. 9 की शर्तें प्रभावशील होगी।
  8. निविदाकर्ता को कार्य कराने हेतु श्रमिक की व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी की आवश्यकतानुसार प्रतिदिन समयावधि में करनी तथा उनके समस्त भुगतान की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी। जिला विपणन अधिकारी अनुबंधित दरों से ही भुगतान करेंगे।
  9. निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम नियमों एवं समय-समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय निदेशों का पालन करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
  10. निविदाकार के पास न्यूनतम 20 हमालों का भविष्य निधि कोड नं. होना अनिवार्य है, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उक्त 20 हमालों से अधिक हमालों के लिये भविष्य निधि कोड नं. नहीं होने पर बिल से 24 प्रतिशत भविष्य निधि +1.61 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय 25.61 प्रतिशत राशि काटकर पूर्व में ही भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हमाली ठेकेदारों हेतु आबंटित कोड नं. में नियत अवधि (आगामी माह के 15 तारीख तक) जमा की जायेगी। ठेकेदार के पास ऐसे हमालों का कोड नं. नहीं होने तक उन्हें प्रत्येक माह बिल बनाकर प्रस्तुत करना होगा और बिल स्वीकृति के पूर्व हमालवार भविष्य निधि विवरण प्रस्तुत करने पर बिल स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वार्षिक विवरणी भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा तथा नियमानुसार निविदाकार के बिल से कर की कटौती की जावेगी।
  11. वाहन से कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टैकिंग कार्य की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल हमाल ठेकेदार की होगी हेतु केन्द्रों में पर्याप्त हमालों की उपलब्धता सफल हमाल ठेकेदार सुनिश्चित करेगा।
  12. कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना में अनलोडिंग कार्य एवं स्टैकिंग कार्य अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त अन्य भुगतान देय नहीं है।
  13. सफल हमाल ठेकेदार को जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार वाहनों में चिन्हकित बारदाने गठान की अनलोडिंग एवं स्टैकिंग करना होगा।
  14. निविदाकार को निविदा के साथ रुपये **50,000.00** (पचास हजार रुपये मात्र) अमानत राशि, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर संबंधित जिले **D.D/B.G** के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं डी.डी./बी.जी की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा तथा डी.डी./बी.जी की छायाप्रति एवं उसका विवरण ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

15. सफल निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम र की अमानत राशि के अतिरिक्त 50,000.00 (पचास हजार रूपये) की डी.डी./बैंक गारंटी/एफडीआर. अनुसूचित बैंक का सुरक्षा निधि जमा कराना अनिवार्य होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्य सफलतापूर्वक किये जाने के उपरांत कटौती सहित यदि हो राशि वापसी योग्य होगी।
16. संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दर्शित कार्य के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी द्वारा निर्देशित व विदाकर्ता को सम्पन्न कराना होगा, जिसकी दरें जो निविदा में स्वीकृत दर से अधिक न हो जिला विपणन अधिकारी एवं निविदाक द्वारा आपसी सहमति पर तय की जावेगी।
17. निविदाकर्ता द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर संघ को होने वाली हानि के लिए निविदाकर्ता जवाबदार होगा ए कार्य अन्य स्रोतों से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह निविदाकर्ता के देयकों/अमानत राशि/सुरक्षा निधि से वसूल की जावे
18. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए नि या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर के पास सुरक्षित होगा।
19. सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी समय पर प्रस्तुत करने की जवाब िविदाकार की होगी।
20. जिले में केन्द्रों एवं क्षमता की सूची संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।
21. विपणन संघ के केन्द्रों में कार्य होने पर ही आवश्यकतानुसार कार्य निविदाकार को दी जा सकेगी। किन्हीं परिस्थितिवाश किसी के आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में कार्य देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार से बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं हं
22. निविदाकार को अपने हमालों की बीमा हेतु कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत बीमा कर, निविदा स्वीकृत होने के पश् कार्य आरंभ करने के पूर्व जिला विपणन अधिकारी, मिल के प्रबंधक या भंडारण केन्द्र के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हो ब तक निविदाकार कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की बीमा की प्रति प्रस्तुत नहीं करेगा, उसे कार्य आरंभ नहीं करने दिया र
23. निविदाकार को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अन्तरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
24. निविदाकार एवं छतीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक, ाज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मध्यस्थ का निर्णय दोनों पक्षों व य होगा।
25. निविदाकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा अथवा अनुबंध के अधीन सेवाओं में कुशलता से निष्पादित न करने अथवा उनके द्वारा अनुबंध की ी भी शर्त का उल्लंघन करने पर विपणन संघ को हुई हानि अथवा विपणन संघ द्वारा उठाये गये प्रभार लागत अथवा खर्च की दा कुल राशि विपणन संघ द्वारा उस राशि से काट ली जावेगी जो विपणन संघ के साथ किये गये इस अनुबंध अथवा इसके बाद किर समय निविदाकर्ता को देय होगी। यदि विपणन संघ द्वारा निविदाकर्ता को दी जाने वाली पूर्वोक्त राशि कम पड़ती है तो दावा की गई निविदाकर्ता से वसूल की जाने वाली कुल राशि की शेष राशि निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से काट ली जावेगी। या णन संघ द्वारा व्यय की गई कुल राशि के पूर्ति के लिए यह राशि अपर्याप्त रहती है तो दावा की गई पूर्वोक्त राशि का शेष भाग मां पर निविदाकर्ता को अदा करना होगा अन्यथा विपणन संघ कानूनी कार्यवाही कर मय खर्च के उक्त राशि वसूल कर सकेगा।
26. यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है एवं निविदाकर्ता द्वारा यदि स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी ः ार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए विपणन संघ स्वतंत्र रहेगा त की अमानत राशि राजसात होने के साथ उसे विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डा वेगा। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।
27. निविदाकार के किसी भी कृत्य से होने वाली नुकसानी निविदाकार के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।
28. पूर्व वर्षों में काली सूची में दर्ज एवं विपणन संघ के बकायादार निविदा में भाग नहीं ले सकेगें, किन्तु बकायादार द्वारा विपणन संघ काया राशि मय ब्याज में जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगें।
29. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित समस्त लागू एवं निविदा अवधि के दौरान प्रभावी किये जा सकने उपकर/कर की भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि निविदाकार देने में आनाकानी करें तो उनके बिल से कटौती कर सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय जैसा भी हो, के निर्देशानुसार जमा कर दी जायेगी। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभ अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।
30. जिन निविदाकारों के पूर्व वर्षों में निविदा स्वीकृत कर अनुबंध निष्पादित किया गया था एवं उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया उनके द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया वे निविदाकार निविदा हेतु अपात्र होंगे।
31. निविदाकारों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज हमा /संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध एवं प्रमाणिक है। इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विव

- लिये निविदाका पूर्णरूप से जवाबदार होंगे। निविदाका द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बीड स्वीकार होने पर निविदाका द्वारा तकनीकी बीड में उ न प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाणपत्र, दस्तावेज की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति संघ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।
32. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका समाचार पत्रों में अथवा विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा। निविदाकार संशोधन/शुद्धि पत्र की जानकारी विपणन ी वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं।
33. निविदाकार के दिवालिया होने अथवा अनुबंध के किसी भी प्रावधान या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्तों के पालन करने का अ होगा तथा अनुबंध की शेष समयावधि में रिस्क एण्ड कॉस्ट के तहत निविदाकार से शेष अनुबंध अवधि में विपणन संघ को हुई ह वसूली निविदाकार से की जावेगी।
34. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेश छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य “सत्यनिष्ठा संधि“ (Integrity Pact) जो निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। “सत्यनिष्ठा संधि“ (Integrity Pact) सं ही की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। “सत्यनिष्ठा संधि“ (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के सा ग्न है। (परिशिष्ट 5)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहेड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग् निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/ संचालक/ भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न ह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम.....

पता:.....

लायसेंस क्र.....

भविष्य निधि कोड नं. ....

“परिशिष्ट

भाग - “क“

(तकनीकी बीड हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,

.....छ.ग.

महोदय,

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	
1	निविदाकर्ता का नाम- श्री/सुश्री	
2	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम-	
3	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	
4	हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का पंजीयन प्रमाण पत्र	
5	व्यवसाय की आयकर स्थाई लेखा संख्या	
6	भविष्य निधि कोड संख्या	
7	हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का भविष्य निधि कोड नं. एवं विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में से किसी भी 01 वर्ष के जमा रिटर्न की छायाप्रति।	
8	हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का व्यवसाय संबंधित दो वित्तीय वर्षों 2023-24 एवं 2024-25 की आय कर विवरणी।	
9	भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

10	हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स के साथ तथा सूचीबद्ध किये गये हमालों के भविष्य निधि खाता नम्बर, ई.एस.आई.सी एवं गुर्प इंशोरेंस सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
11	वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे।	
12	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	रूपये कुल ..... डी.डी/बी.जी नं. .... बैंक का नाम.....
13	विगत 02 वर्षों में शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होने का घोषणा पत्र।	
14	वर्तमान तथा पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण	
15	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	

## भाग - "ख"

सरल क्रमांक.....

जिला में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु निविदा फार्म

## वित्तीय बीड हेतु

द्वारा:-

दूरभाष:-कार्यालय.....

मेसर्स.....

निवास.....

.....

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी

छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,

जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में जिला में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की लोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यो हेतु नीचे दिये अनुसार दरें दी जा रही हैं:-

क्रमांक	कार्य	विवरण	दर रुपये में (प्रति गठन)

1	कंटेनर से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग	Lump Sum दर	Price break up Format
---	--	-------------	-----------------------

उपरोक्त प्रस्तुत दर में वैधानिक देयताएं यथा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. तथा प्रचलित कर (जी.एस.टी.) सम्मिलित है। निरत कर्मियों को वैधानिक देयता जैसे:- भविष्य निधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जी.एस.टी. इत्यादि का भुगतान के स्वीकृत निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

“परिशिष्ट

संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

(रु. 100/- के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक .....दिन.....को यह अनुबंध पत्र छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ .., जिला विपणन अधिकारी..... जिला.....(छ.ग.) जिसे आगे चलकर “विपणन संघ“ कहा जावेगा “ क्रमांक-1 तथा मेसर्स .....पक्ष क्रमांक-2“ के मध्य किया जा रहा है:-

1. यह कि, पक्ष क्र. 1 द्वारा खरीफ वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (दो वर्ष तक) में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु पक्ष क्र. 2 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दर स्वीकृत की गई है, जो संलग्न है। दर का विवरण निम्न सार है:-

क्रमांक	कार्य	विवरण	दर रुपये में (प्रति गठान)
1	कंटेनर से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग	03 क्विंटल तक का बारदाना गठान का	

2. यह कि, पक्ष क्र. 2 संविदा अवधि / /2026 से / /2028 ( 02 वर्ष ) तक कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य के लिए वचनबद्ध है, आवश्यकता पड़ने पर तीन-तीन माह के काल खण्ड में 01 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है, इसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य होगा।

3. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य करने हेतु हमालों का नाम, पिता नाम तथा पता सहित पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह कि, पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 द्वारा जो भी कार्य सम्पन्न करने हेतु कहा जावेगा उसे समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य हो समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पक्ष क्र. 1 द्वारा अन्य स्रोतों से कार्य कराया जावेगा, जिससे होने वाली हानि पक्ष क्र. 2 से वसूल की जावेगी।
5. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु स्वीकृत दर से माह में किये कार्य का माहवार देयक माह समाप्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर पक्ष क्र. 1 को प्रस्तुत करेगा, जिसे एक सप्ताह के भीतर रीक्षण कर पक्ष क्र. 1 द्वारा भुगतान किया जावेगा।
6. यह कि, पक्ष क्र. 2 को समय-समय पर कार्यानुसार कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु ल की अतिरिक्त व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार समयावधि में करना अनिवार्य होगा तथा उसके समस्त दायित्वों जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।
7. यह कि, निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम कानूनों जिसमें बोनस नियम, भविष्य निधि नियम एवं य-समय पर लागू होने वाले समस्त अन्य शासकीय नियम/अधिनियम का पालन करने की जवाबदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।
8. यह कि, पक्ष क्र. 2 के पास भविष्यनिधि कोड तथा श्रम लाइसेंस, संविदा अधिनियम के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है। समय पर भविष्यनिधि कोड एवं श्रम लाइसेंस प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी। समस्त श्रमिकों का भविष्य निधि मानुसार समयावधि भविष्य निधि आयुक्त को जमा करवाना तथा आवश्यक कानूनी अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक अभिलेख संधारित करना पक्ष क्र. 2 की जिम्मेदारी होगी। श्रमिकों से संबंधित समस्त अभिलेख पक्ष क्र. 1 के मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना पक्ष क्र. 2 को आगामी माह की 15 तारीख तक भविष्यनिधि राशि जमा कराकर क्लीरेंस सर्टिफिकेट भविष्यनिधि कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात् ही आगामी भुगतान पक्ष क्र. 1 द्वारा किया जावेगा। समयावधि में नियम का पालन नहीं करने पक्ष क्र. 1 द्वारा इकरारनामा भी निरस्त किया जा सकता है तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती पक्ष क्र. 1 द्वारा की जावेगी। पक्ष क्र. 2 को यदि सर्विस टैक्स की प्रोविजन लागू होते हैं तो सर्विस टैक्स की भुगतान की जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी और उसे अपने द्वारा घोषित दरों यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि इन दरों में सर्विस टैक्स भी शामिल है।
10. यह कि, निविदा के साथ दी गई अमानत राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) पर कोई ब्याज देय नहीं होगी व पक्ष क्र. 2 द्वारा सम्पन्न करने पर श्रम आयुक्त एवं भविष्य निधि आयुक्त से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वापस किया जावेगा।
11. वाहन से कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल हमाल ठेकेदार की होगी। उक्त हेतु केन्द्रों में पर्याप्त हमालों की उपलब्धता सफल हमाल ठेकेदार सुनिश्चित करेगा।
12. कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना में अनलोडिंग कार्य एवं स्टेकिंग कार्य अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त अन्य भुगतान देय नहीं होगा।
13. यह कि, पक्ष क्र. 2 को रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का अमानत राशि जो निविदा के साथ जमा की गई है, इसके अतिरिक्त अनुबंध के समय रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की डिमांड डॉफ्ट/बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. किसी अनुसूचित का सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
14. यह कि, पक्ष क्र. 1 द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृत कार्य के अलावा समय-समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी निर्देशित कार्य पक्ष क्र. 2 को सम्पन्न करना होगा, जिसकी दरें जिला विपणन अधिकारी एवं पक्ष क्र. 2 के द्वारा आपसी सहमति पर तय की जावेगी।
15. यह कि, अनुबंध अवधि में पक्ष क्र. 1 के पास केन्द्र में आवश्यकता होने पर ही हमाली का कार्य पक्ष क्र. 2 द्वारा किया जावेगा। यदि केन्द्र में आवश्यकता नहीं होने पर हमाली कार्य कराने की बाध्यता/मुआवजा पक्ष क्र. 1 द्वारा देय नहीं होगी।
16. यह कि संग्रहण केन्द्र में धान के स्टैक इस प्रकार लगाया जावे कि वह गिरे ना अर्थात् बारदाना गठान क्लॉक वाइस करके रखे जायें। यदि स्टैक लगाने के पश्चात् स्टैक भसकता अथवा गिरता है तो उक्त स्टैक को पुनः निःशुल्क लगाने का दायित्व संबंधित निविदाकार का होगा।
17. यह कि, पक्ष क्र. 2 को कार्य आरंभ करने के पूर्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि में कार्य के दौरान किसी श्रमिक को आघात पहुंचता है या मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित हर्जाना पक्ष क्र. 2 को वहन करना होगा। इसमें पक्ष क्र. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर होने वाली हानि के लिये पक्ष क्र. 2 जिम्मेदार होगा एवं उक्त कार्य अन्य स्रोत से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्र. 2 से वसूल की जावेगी, जो उसके द्वारा जमा राशियों

- देयकों से भी काटी जा सकेगी।
19. यह कि, अनुबंध की अवधि का उल्लंघन यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा की जाती है तो पक्ष क्र. 1 किसी भी समय बिना कारण बताये पक्ष क्र. 2 का अग्रेतर समय के लिए निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्य रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
  20. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत की गई श्रमिकों की सूची अनुसार उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई श्रमिक नुपस्थित रहता है तो उसके बदले में अतिरिक्त श्रमिक दिया जाकर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।
  21. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत श्रमिकों की सूची में कोई भी श्रमिक मिल प्रांगण अथवा मिल कार्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में वांछनीय हरकतें करता है तो उसे तत्काल कार्य से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पक्ष क्र. 2 की जावेगी।
  22. यह कि, पक्ष क्र. 2 निविदा की अवधि में प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का पालन करेगा जो कि सहकारिता और श्रम आरक्षण द्वारा प्रदत्त किया गया हो। पक्ष क्र. 2 द्वारा जाने अथवा अनजाने में नियमों का उल्लंघन की जवाबदारी पूर्णतः पक्ष क्र. 2 की होगी और ऐसे किसी अपकृत्य के लिये पक्ष क्र. 1 जवाबदार नहीं रहेगा। शासन द्वारा लागू समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों को पालन करने का उत्तरदायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। पक्ष क्र. 2 को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष अंतरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
  23. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता एवं स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या डबडी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने तथा उसकी अमानत राशि राजसात होने के साथ विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।
  24. यह कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।
  25. निविदा की अनुबंध अवधि समाप्ति पश्चात् भी अनुबंधित अवधि का यदि निविदाकार से श्रम विभाग अथवा भविष्य निधि विभाग कोई भी लेनदारी/देयता शेष रहेगी, तो उक्त राशि संबंधित विभाग में जमा करने के लिए निविदाकार बाध्य रहेगा।
  26. निविदाकार द्वारा केन्द्रों में किये गये बारदाना गठन को डंप दिनांक से सात दिवस के अंदर स्टेकिंग करेगा अन्यथा हमाल ठेकेदार प्रति बोरा प्रति दिन 0.10 पैसे के मान से दण्ड वसूल किया जावेगा।
  27. हमाल ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यरत हमालो का फोटो युक्त परिचय पत्र संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं जिला विपणन अधिकारी को सूचीबद्ध प्रस्तुत करेगा तथा जारी किए गए हमालों के परिचय पत्र हमाल ही संग्रहण केन्द्र में प्रवेश करेगा। बिना परिचय पत्र के किसी भी हमाल को संग्रहण केन्द्र प्रभारी/जिला विपणन अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
  28. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
  29. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/ नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशित सार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity pact) कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 5)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहेड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/ संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पदनाम.....

(पक्ष क्र. 1)

(पक्ष क्र. 2)

सील.....

सील.....

साक्षी:-

साक्षी:-

## परिशिष्ट

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में कंटेनर के माध्यम प्राप्त बारदाना की नलोडिंग एवं स्टेकिंग हेतु Price break up Format

उदाहरण:-

जिलो में प्राप्त होने वाले बारदानों की अनुमानित संख्या	X	कार्य हेतु दर (रूपये में प्रति गठान)	=	Lump sum amount (निविदाकार द्वारा जैम पोर्टल में अपनी दर भरने हेतु)
5000 नग गठान	X	130 रूपये प्रति गठान	=	6,50,000 रूपये

निविदाकारों द्वारा केवल Price break up प्रारूप जो जैम निविदा में प्रस्तुत किया जाना है -

.....नग गठान (जिले द्वारा अनुमानित गठान की मात्रा)	X	दर.....रूपये प्रति गठान निविदा द्वारा निविदा में प्रस्तुत किया जाने (इस प्रारूप में भरे तथा Price break up Format के विकल्प में अपलोड करें।)	=	Lump Sum दर..... निविदाकार द्वारा भरी जावे को वित्तीय बीड में भरा जावेगा।
--	---	--	---	---

.....अनुमानित गठान की मात्रा	निविदाकार द्वारा रूपये प्रति गठान दर.....का उल्लेख करें।	Lump Sum दर..... निविदाकार द्वारा भरी जावे को वित्तीय बीड में भरा जावेगा।
------------------------------	--	--

परिशिष्ट

### PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

#### 1. GENERAL

- 1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 between, the Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd. acting through Shri (hereinafter called the "BUYER/PRINCIPAL", which expression shall mean and (Designation of the officer, Department include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and Stores/Equipment/Work /Service/Materials) and M/s. proposes the Shri First Party, to procure (Name of the represented by Chief Executive Officer/Authorized Signatory (hereinafter called the "BIDDER/SELLER/CONTRACTOR", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and nominated assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.
- 1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

#### 2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR agree to enter into the pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by fixing a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

- 2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.
- 2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

#### 3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

- 3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe or consideration, gift, reward, favour or any other advantage any BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for himself or for any person, organization or material or immaterial benefit or from the third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

- 3.2. The BUYER PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER SELLER/CONTRACTORS alike, and will provide to all BIDDER SELLER CONTRACTORS the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORS.
- 3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report to the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach. In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is prima facie found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

#### 4. **COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS**

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

- 4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the bidding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.
- 4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract or forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.
- 4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacturer/Integrator/Authorized government sponsored exporter of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to expedite, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.
- 4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.
- 4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impede the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.
- 4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.
- 4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care to least any such information is divulged.
- 4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through another manner without supporting it with full and verifiable facts.
- 4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

#### 5. **PREVIOUS TRANSGRESSION**

- 5.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER's exclusion from the tender process.
- 5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated or such reason.

#### 6. **EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)**

- 6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

- (i) Bank Draft or a Pay Order in favour of.....

- (ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.
  - (iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).
- 6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete fulfilment of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.
- 6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Agreement pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit it the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.
- 6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.
7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS
- 7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or any one of the following actions, wherever required:-
- (i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) would continue.
  - (ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not be required to assign any reason therefore.
  - (iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.
  - (iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.
  - (v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.
  - (vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.
  - (vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.
  - (viii) To recover all sums of paid in violation this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to any middlemen agent or broker with a view to securing the contract.
  - (ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.
  - (x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.  
The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law, by any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant.
  - (xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any money dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount SO payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.
- 7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the

urposes of this Pact.

**8. FALL CLAUSE**

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/tems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Depaent of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/syste or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Go nment of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed e, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDD SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

**9. INDEPENDENT MONITORS**

- 9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pa
- 9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent t parties comply with the obligations under this Pact.
- 9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform thei nctions neutrally and independently.
- 9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the prc t/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to tra the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidenti y.
- 9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the A ority designated by the BUYER/PRINCIPAL.
- 9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of t BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ NCIPAL/BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting oblematic situations

**10. FACILITATION OF INVESTIGATION**

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUY PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accou of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall provide necessary i rmation of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examini n,

**11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION**

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BL R/PRINCIPAL i.e at RAIPUR Chhattisgarh.

**12. OTHER LEGAL ACTIONS**

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may fi w in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proce ngs.

**13. VALIDITY**

- 13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the coi ete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER NTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pa shall expire after six months from the date of the signing of the contract.
- 13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain va In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on.....

**BUYER/PRINCIPAL**

**BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**

**Name of the Officer**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

**Destination**

**Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.**

Witness

Witness

1) -----

1)

2) .....

2)

## अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer, is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. All representations / grievance pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM. If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

**All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020**

and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

**For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.**

**The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:**

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

**All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.**

**This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.**

**However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.**

This Bid is governed by the [सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions](#), conditions stipulated in Bid and [Service Level Agreement](#) specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration or non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

**---धन्यवाद/Thank You---**